राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः 29.08.2015

जिला कलेक्टर, समस्त
राजस्थान।

विषयः- ई-मित्र केन्द्रों पर भामाशाह नामांकन को गति देने बाबत।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है, जिले के समस्त NFSA पात्र परिवारों का शतप्रतिशत, अर्थात् अनुमानित जनसंख्या का कम से कम 70 प्रतिशत भामाशाह नामांकन किया जाना है। अतः ऐसे ब्लॉक/शहरी निकाय जहां नामांकन कवरेज कम है वहां ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से अधिकाधिक नामांकन की कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही पूर्व में नामांकित परिवारों के शेष रहे सदस्यों का भी नामांकन ई-मित्र केन्द्रों पर करवाना सुनिश्चित करवायें।

वर्तमान में ई-मित्र केन्द्रों पर भामाशाह नामांकन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है, यह निशुल्क सुविधा दिनांक 31.12.2015 तक उपलब्ध रहेगी। अतः इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कर जिले में अधिकाधिक नामांकन सुनिश्चित कराएं, जिससे दूरस्थ क्षेत्र के निवासियों को भी त्वरित एवं पारदर्शी रूप से सरकारी लाभ प्राप्त हो सकें।

भवदीय,

(Arora)

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः 29.08.2015

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. उपनिदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी जिला......................
2. उपनिदेशक/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जिला............
3. समस्त उपखण्ड अधिकारी।
4. समस्त विकास अधिकारी/तहसीलदार।

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग